

पश्चिम रेलवे

पी.एस.सं.8/2012

सं.ई (पी एण्ड ए)1064/0 भाग III

प्रधान कार्यालय,

चर्चगेट, मुंबई.

दि.30-01-2012

सभी मं.रे.प्र. /मु.का.प्र. और युनिट इनचार्ट .

प्रति : महामंत्री- वे.रे.ए.यू.-ग्रांटरोड/वे.रे.म.सं.-मुंबई सेटल.

प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया एस सी/एस टी रेलवे एम्प्लाइज एसोशिएशन 'वेस्ट' जोन, मुंबई .

प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया ओ.बी.सी.रेलवे एम्प्लाइज एसोशिएशन , मुंबई.

विषय : क्षेत्रीय रेलों / उत्पादन इकाइयों में कार्यरत सतर्कता निरीक्षकों को विशेष भत्ता प्रदान करना ।

\*\*\*\*\*

रेलवे बोर्ड के दिनांक 03.01.2012 के पत्र सं.ई (पी एण्ड ए)I-2010/एस पी-1/सा.-1 (आर बी ई सं.03/2012) की प्रतिलिपि सुचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

संलग्न : यथोक्त

  
(एस कडमणी)  
कृते महाप्रबंधक (स्था)

सभी रेलों के महाप्रबंधकों को तथा अन्यों को संबोधित रेलवे बोर्ड के दिनांक 03.01.2012 के पत्र सं.ई (पी एण्ड ए)I-2010/एस पी-1/सा.-1 (आर बी ई सं.03/2012) की प्रतिलिपि ।

विषय : क्षेत्रीय रेलों / उत्पादन इकाइयों में कार्यरत सतर्कता निरीक्षकों को विशेष भत्ता प्रदान करना ।

विशेष भत्ता प्रदान करने संबंधी मामला कुछ समय से बोर्ड के विद्वाराधीन रहा है ताकि क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों में अनुभवी और प्रतिभावान कर्मचारियों को सतर्कता निरीक्षकों के स्थ में कार्य करने के लिए आकर्षित किया जा सके । अब यह विनिश्चय किया गया है एक विशेष मामले के स्थ में क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों में सतर्कता निरीक्षकों को प्रति माह रु2,500/- की दर से विशेष भत्ता प्रदान किया गए ।

2. उक्त विशेष भत्ता जनवरी, 2012 से अनुमेय होगा ।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

\*\*\*\*\*